न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /टीए/2139/2005/भीलवाडा

1. गिरधारी पुत्र अमरा
2. देवीलाल पुत्र अमरा
3. रामा पुत्र अमरा
4. काना पुत्र अमरा
5. नाना पुत्र अमरा
6. बालू पुत्र अमरा
7. हरा पुत्र रेखा

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्रम मेलोणी तहसील गंगापुर जिला भीलवाडा।

अपीलांटस/प्रतिवादीगण.....

बनाम

1– श्रीमती कमला बेवा डालचन्द
2. राजेश पुत्र डालचन्द
3. अनिल पुत्र डालचन्द

समस्त जाति महाजन जनवासी रापयुर जरिये मुख्तयार आम शंकरलाल पुत्र मिश्री लाल नौलखा निवासी गंगापुर जिला भीलवाडा।

4. सब रजिस्ट्रार तहसील कार्यालय गंगापुर।

रेस्पो0/वादीगण.....

खण्ड–पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थित :
श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट
श्री ओ0एल0दवे, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक–15.02.2021

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–4–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 ने अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 व 11 एवं 151 सी0पी0सी प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वादीगण द्वारा आराजी संख्या 2659व 2660 में से बने नये रकबा 2659/7 व 2660/5 रकबा क्रमशः 1 बिस्वा व 2 बिस्वा से संबधित पेश किया है। इन भूमियों के संबंध में सिविल न्यायालय, गंगापुर के न्यायालय में एक वाद दिनांक 01.9.99 को प्रस्तुत किया। उक्त वाद निर्णित होकर खारिज हो चुका है। वाद खारिज होने पर वर्तमान में सैशन न्यायाधीश, भीलवाडा के यहां अपील प्रस्तुत की हुई है। ऐसे में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अपने निर्णय दिनांक 31.12.03 से खारिज कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31.12.03 से ग्रसित होकर रेस्पो/वादीगण ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.4.05 को स्वीकार करते हुये प्रकरण परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को रिमाण्ड कर दिया गया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 06.4.2005 से ग्रसित होकर अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष की बहस विद्वान अभिभाषक की बहस अपील में सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा खसरा नं0 2657/7 रकबा 1 बिस्वा व 2660/5 स्कबा 2 बिस्वा बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जबकि रेस्पो0 द्वारा कथित पंजीकृत विक्रय पत्र में खसरा नं0

2660/5 न होकर खसरा नं0 2657/5 अंकित है। ऐसी स्थिति में जब तक सिविल न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित खसरा नंबरान बाबत स्पष्ट निर्णय पारित नहीं हो जाता तब तक राजस्व न्यायालय के समक्ष उक्त खसरा नंबरान के आधार पर नियमित राजस्व वाद प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं है। क्योंकि विक्रय पत्र में अंकित खसरा नबंरान में से खसरा नं0 2607/5 सही है अथवा 2657/5 सही है, का निर्णय सिविल न्यायालय से नहीं हो जाता है। इस महत्पूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करके अपीलीय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि रेस्पो0 द्वारा एकतरफ जहां सिविल न्यायालय द्वारा सिविल वाद अपने क्षेत्राधिकार में न होना मानते हुये जो आदेश पारित किया गया था उसे जरिये अपील न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भीलवाडा में चुनौती दी गयी है वही सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को मानते हुये राजस्व न्यायालय के समक्ष उन्हीं पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि बाबत उसी दादरसी के लिए नियमित वाद प्रस्तुत किया है जो दोनों परिस्थितियां एक–दूसरे के विपवरीत है अर्थात रेस्पो0 दोनों में से एक ही अदालत से दादरसी प्राप्त कर सकता है सिविल न्यायालय में किसी तथ्य को इंकार करते हुये राजस्व न्यायालय में उसी तथ्य हेतु डिक्री प्राप्त नहीं की जा सकती है। उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलीय न्यायालय जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10,11 एंव 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत करते हुये रेस्पो0/वादी के वाद को खारिज करने की प्रार्थना की। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री से रेस्पो0/वादी के वाद को विधि विरूद्ध रूप से खारिज कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि सिविल न्यायालय में जो निर्णय पारित किया गया था वह मेरिट पर अंतिम डिक्री नहीं थी। अतः धारा 11 सी0पी0सी0के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। उनका यह भी तर्क है कि धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत अन्तरनिहित अधिकारों का प्रयोग उन्ही परिस्थितियों में किया जाता है जब विधि के अन्य प्रावधान उपलब्ध नहीं हो। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि सिविल न्यायालय द्वारा वाद क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया गया था, जो निर्णय पारित किया गया वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय नहीं माना जा सकता और वाद धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत रेसज्यूडीकेटा की तारीफ में भी नहीं आता है। अतः अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते रिमाण्ड करने के जो आदेश दिये विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस मनन किया और अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया ।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा ने अपने निर्णय के अंत से द्वितीय पैरा में अंकित किया है कि–

‘‘ कि रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र हस्ब दफा 10, 11, एवं 151 जा0री0 के पैरा नं0 2 में यह उल्लेख किया है कि इन भूमियों के संबंध में सिविल न्यायालय गंगापुर के न्यायालय से दिनांक 29.04.2003 को वाद का निर्णय हो चुका है और वाद खारिज किया गया है। इसी प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 4 में यह अंकित किया गया है कि विवादित आराजियात के संबंध में पूर्व में सिविल न्यायालय में वाद चल चुका है और अपील पेण्डिंग है और दूसरा वाद चलने योग्य नहीं है। इसी प्रार्थना पत्र के पेरा न.5 में यह अंकित किया गया है कि एक बार वाद का निर्णय हो जाने पर दूसरा वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है व इस वाद पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से वाद चलने योग्य नहीं है और अंत में रेसज्यूडिकेटा के आधार पर वाद खारिज करने की प्रार्थना की गई। रेस्पोंडेण्ठ द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को किसी सेक्शन विशेष के तहत नहीं पढा जायेगा। यह प्रार्थना पत्र थ्री इन वन है। अब अदालत हाजा को यह देखना है कि दफा 10–11 एवं 151 के पृथक–पृथक प्रावधानों के तहत प्रभाव पड़ता है। दफा 10 जाब्ता दीवानी के प्रावधानानुसार यदि कोई वाद किसी न्यायालय में चल रहा है तो क्षेत्रधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय में दूसरा वाद उन्ही पक्षकारों के बीच नहीं चल सकता है। मल्टीप्लीसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकने के लिए और अलग–अलग निर्णयों की संभावनाओं को रोकने के लिए दफा 10 प्रभावी है। ऐसे मामले में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है

बल्कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता यही मांग कर सकता है कि मल्टीप्लीसिटि को रोकने के लिए एवं अलग–अलग निर्णयों की संभावनाओं को रोकने के लिए या तो दोनों वाद को कंसोलिडेट करे अथवा बाद में प्रस्तुत किये गये वाद पर सुनवाई स्थगित रखी जाये। मातहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता रेस्पोंडेण्ट ने रेसज्यूडिकेटा के आधार पर वाद खारिज करने का स्पष्ट उल्लेख किया है। दफा 11 का संबंध रेसज्यूडिकेटा से है। रेसज्यूडिकेटा तभी लागू होता है जब पूर्व में विवादित आराजियात के संबंध में सक्षम न्यायालय से मेरिट पर कोई निर्णय पारित किया गया हो। प्रकरणहाजा में सिविल न्यायालय से मेरिट पर कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है। लिहाजा सिविल न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए वाद खारिज किया जाना निसंदेह रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है और उसकी अपील का प्रावधान है। दफा 151 जा. दी. के प्रावधान तभी लागू होते है जब विवादित प्रश्न को निपटाने के लिए कोई कानूनी विकल्प उपलब्ध नहीं हो। प्रकरण हाजा में मातहत अदालत के समक्ष कानूनी विकल्प उपलब्ध था अतः मातहत अदालत के निर्णय को दफा 151 जा. दी. के तहत पारित किया जाना नहीं माना जा सकता है। मल्टीप्लीसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकने कि लिए अदालत हाजा को भी दफा 151 जा.दी. के तहत यथोचित आदेश पारित करने का अन्तर्निहित अधिकार है।''

इस प्रकरण के संबंध में उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि मूल पंजीकृत विक्रय पत्र में विक्रय किये गये खसरा नंबर का रेस्पो0/वादी सहवन से गलत अंकित कर दिये जाने के आधार पर अन्य दूसरे खसरा नंबर की भूमि प्राप्त करना चाहते है। परन्तु पंजीकृत विक्रय पत्र में स्वयं रेस्पो0/वादी द्वारा ही यह खसरा नंबर अंकित कराकर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया था और उसे स्वीकार भी किया गया था। इस स्थिति में एक बार पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीदी व बेची गयी भूमि में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार और न्यायिक सक्षमता राजस्व न्यायालय को नहीं है। इन विवादित भूमि के सबंध में पंजीकृत विक्रय के सबंध में माननीय सिविल न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन रहा है और सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरांत उसकी अपील भी जिला न्यायाधीश, भीलवाडा में विचाराधीन चल रही है। इस स्थिति में इस प्रकरण में और अधिक वाद बाहुल्यता नही बढे व समुचितरूप से विधिसंगत निर्णय हो सके इसके लिए सबंधित जिला न्यायाधीश, भीलवाडा से या सक्षम सिविल न्यायालय से अंतिम निर्णय होने के उपरांत ही उसको मध्यनजर रखते हुये आगामी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित व उचित प्रतीत

होता है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित व विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8– परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2005 विधिसंगत व न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य